सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 25, मंगलवार, *शाके 1946*-जुलाई 16, *2024* *Asadha 25, Tuesday, Saka 1946- July 16, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निमार्ण विभाग(पथ) राजस्थान,जयपुर

(वृत डीग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 09, 2024

(अन्तर्गतभूमि अर्जनए पुनर्व्यस्थापन में उचितप प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार)

अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

Rajkaj 8742617 :–राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार डीग जिला में कुम्हेर बाईपास का निर्माण (कस्बा कुम्हर– नँगला मैंथना, सड़क एवं रनधरपुरा से गॉगरसौली –कस्बा कुम्हेर डीग रोड़ वाया कुम्हेर) 00+000 कि.मी. से 09+890 कि.मी. का कार्य किया जाना है, जिसकी स्वीकृति एस0 एच0/एम0 डी0 आर एवं ग्राम सड़क बजट मद के तहत उप सचिव (रा.रा.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र कमांकः–एफ. 7(102)/A&F/अनु–II /2022–23/डी–2223 दिनांक 04/10/2023 द्वारा राशि रूपये 68. 30 करोड की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें कुम्हेर बाईपास का निर्माण (कस्बा कुम्हेर– नगला मैंथना, सड़क एवं रनधरपुरा से गॉगरसौली –कस्बा कुम्हेर डीग रोड़ वाया कुम्हेर) के लिए भूमि अवाप्ति की जानी है। जिनका का विवरण निम्नानुसार है।

क.सं.	राज्य	जिला	तहसील	गाँव
1	राजस्थान	डीग	कुम्हेर	कस्बा कुम्हेर–II
2	राजस्थान	डीग	कुम्हेर	नँगला मैंथना
3	राजस्थान	डीग	कुम्हेर	सिरसई
4	राजस्थान	डीग	कुम्हेर	सिकरोरी
5	राजस्थान	डीग	कुम्हेर	बिलावटी
6	राजस्थान	डीग	कुम्हेर	कस्बा कुम्हेर–I
7	राजस्थान	डीग	कुम्हेर	सुपावस
8	राजस्थान	डीग	कुम्हेर	रणधीरपुरा
9	राजस्थान	डीग	कुम्हेर	गाँगरसौली

परियोजना हेतु नियमनुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डीग जिला में कुम्हेर बाईपास रोड़ के लिये भूमि अवाप्ति के लिए तहसील कुम्हेर में ग्राम 1.

कस्बा कुम्हेर–II, 2.नँगला मैंथना, 3.सिरसई, 4.सिकरोरी, 5.बिलावटी, 6.कस्बा कुम्हेर–I, 7. सुपावस, 8.रनधीरपुरा, 9.गाँगरसौली का चयन किया जाना है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्थावित भू–अर्जन से प्रभावित गाँवो में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और निम्नानुसार होगी।

1..संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्थावित गाँवों भू–अर्जन से प्रभावित व्याक्तियो का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचित सभा तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में प्रर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जानी जावेगी,जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपमियों के समुचित समाधन को भाामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधन प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निधारण की प्रकिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगर परिशद, नगर पालिका के परामर्श में की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और भून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण पकिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः–
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डीग जिला डीग

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड कुम्हेर
मो.:–

रूपेष कुमार
अधिषासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण
विभाग खण्ड डीग जिला डीग
मो.:– 7073151420

संयुक्त सचिव (पथ),
भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।